

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 956

13 Aashwin, 1940(S)

Ranchi, Friday, 5th October, 2018

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification 4th October, 2018

Notification No. 48/2018 - State Tax

- **S.O. No-75 Dated-** 5th **October, 2018**-- In exercise of the powers conferred by section 164 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Jharkhand Government hereby makes the following rules further to amend the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force from 10th September, 2018.
- 2. In the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017,
- (i) in rule 117,
- (a) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
 - "(1A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Commissioner may, on the recommendations of the Council, extend the date for submitting the declaration electronically in **FORM GST TRAN-1** by a further period not beyond 31st March, 2019, in respect of registered persons who could not submit the said declaration by the due date on account of technical difficulties on the

common portal and in respect of whom the Council has made a recommendation for such extension.";

(b) in sub-rule (4), in clause (b), in sub-clause (iii), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the registered persons filing the declaration in **FORM GST TRAN-1** in accordance with sub-rule (1A), may submit the statement in **FORM GST TRAN-2**by 30th April, 2019.";

(ii) in rule 142, in sub-rule (5), after the words and figures "of section 76", the words and figures "or section 125" shall be inserted.

[File.No Va Kar / GST / 04/ 2018] By the order of the Governor of Jharkhand

K. K. Khandelwal,

Additional Chief Secretary

Note:- The principal rules were published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 28, dated the 20th June, 2017, vide notification No. 39/2018-State Tax, dated the 04 October, 2018, published vide S.O. No 71, dated the 04 October, 2018.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 4 अक्टूबर, 2018

अधिसूचना संo. 48/2018- राज्य कर

- एस. ओ. सं.75- दिनांक 5 अक्टूबर, 2018-- राज्य सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है, अर्थात् :-
- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियमावली, 2018 है।
 - (2) ये तारीख 10 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त होंगे ।
- 2. झारखण्ड माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में,-
 - (i) नियम 117 में
 - (क) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्निलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
 - "(1क) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जो सामान्य पोर्टल पर तकनीकी कठिनाइयों के कारण देय तारीख तक उक्त घोषणा प्रस्तुत नहीं कर सके, के सम्बन्ध में और उन व्यक्तियों जिनकी परिषद् ने ऐसे विस्तार के लिए सिफारिश की है, के सम्बन्ध में प्ररूप जीएसटीटीआरएएन-1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से घोषणा प्रस्तुत करने की तारीख को ऐसी और अविध तक, जो 31 मार्च, 2019 से आगे की नहीं होगी, बढ़ा सकेगा।";
 - (ख) उपनियम (4) के खंड (ख) के उपखंड (iii) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु उपनियम (1क) के अनुसार प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 में घोषणा फाइल करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 30 अप्रैल, 2019 तक प्ररूप जीएसटी टीआरएन-2 में विवरण प्रस्तुत कर सकेंगे।";

(ii) नियम 142 के उपनियम (5) में, "धारा 76 की उपधारा (3)" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के पश्चात्, "या धारा 125" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे।

[सं.सं .वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/04/2018] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

के॰ के॰ खण्डेलवाल, अपर मुख्य सचिव

टिप्पण: मूल नियमावली एस. ओ. सं. 28, तारीख 20 जून, 2017 द्वारा झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अन्तिम बार उन्हें एस. ओ. सं. 71, तारीख 04 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 39/2018- राज्य कर, तारीख 04 अक्टूबर, 2018 द्वारा संशोधन किया गया था।
